

राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(1)गृह-1/2021 (8940) पार्ट-2 जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डीओपी/ए-11/95/पीटी दिनांक 16.03.2023 की पालना में दिनांक 01.06.2002 के बाद तीसरी संतान के कारण पदोन्नति से वंचित किये गये अधिकारियों/कार्मिकों के संबंध में वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत छाया पदों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.06.2026 के द्वारा की गई अभिशंकाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की **सुपरटाईम स्केल की** निम्नांकित वर्षों के पूर्व में जारी पदोन्नति आदेशों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-

वर्ष 2017-18

राजस्थान पुलिस सेवा की सुपरटाईम स्केल वर्ष 2017-18 में श्री उमेन्द्र सिंह रघुवंशी (सामान्य) को छाया पद के विरुद्ध पदोन्नत किया जाता है तथा इनकी वरिष्ठता श्री भवानी शंकर मीणा (एसटी) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

वर्ष 2021-22

श्री उमेन्द्र सिंह रघुवंशी को वर्ष 2017-18 में पदोन्नत किये जाने के कारण वर्ष 2021-22 की चयन सूची से इनका नाम विलोपित किया जाता है।

यह पदोन्नति आदेश माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अधधीन है। श्री रघुवंशी को रिक्ति दिनांक से नोशनल आधार पर वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

